राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से हुआ कार्यक्रम

राष्ट्रीय वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन

जयपुर, 6 जून (ब्यूरो): राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर के सहयोग से राजस्थान स्कूल ऑफ लॉ फोर वीमेन, जयपुर की ओर से दो दिवसीय प्रतियोगिता पारले 3.0 : राष्ट्रीय वाद-विवाद प्रतियोगिता (ऑनलाइन) का आयोजन 5-6 जून को किया गया। प्रतियोगिता तीन चरणों में आयोजित की गई। प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश के. व्यास, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग उपस्थिति रहे। सत्र में जस्टिस पीसी जैन (सेनि. न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय) अध्यक्ष, राजस्थान स्कूल ऑफ लॉ फोर वीमेन, डॉ. रेखा भट्नागर, सचिव, डॉ. रश्मि चतुर्वेदी, निदेशक एवं डॉ. वर्तिका अरोड़ा, प्राचार्या उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र के पश्चात प्रतियोगिता के प्रथम चरण का आयोजन किया गया, जिसका विषय 'लेजेलिटी ऑफ इंटरनेट शटडाउन' रहा। प्रतियोगिता के दूसर दिन दूसरे चरण में पहुंचे 20 प्रतिभागी ने 'फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' पर अपने विचार रखें। जिसमें डॉ. अमित यादव, सहायक आचार्य, मनिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर एवं राजेन्द्र सारास्वत, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने निर्णायक की भूमिका निभाई। प्रतियोगिता के अंतिम चरण के लिए 6 प्रतिभागी चयनित हुए, जिन्होंने विचार प्रस्तुत किए। अंतिम चरण में डॉ. आभा यादव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं वर्षा बिस्सा, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर निर्णायक रही। प्रतियोगिता में शामिल विख्यात महाविद्यालयों से कुल 80 टीमों के सभी प्रतिभागियों को निर्णायकों की ओर से भविष्य की शुभकामनाओं के साथ सफल वक्ताा बनने के गुर बताए गए। प्रतियोगिता के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. सुधी राजीव, कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर एवं माननीय न्यायाधीश जीके व्यास, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित

महानगर संवाददाता

जयपुर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सहयोग से राजस्थान स्कूल ऑफ लॉ फोर वीमेन द्वारा दो दिवसीय 'पारले 3.0: राष्ट्रीय वाद-विवाद प्रतियोगिता' का ऑनलाईन आयोजन किया गया। प्रतियोगिता तीन चरणों में आयोजित की गई। प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष न्यायाधीश जी.के. व्यास उपस्थिति रहे। सत्र में जस्टिस पी.सी. जैन, डॉ. रेखा भट्नागर, डॉ. रश्मि चतुर्वेदी, डॉ. वर्तिका अरोड़ा उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के अंतिम चरण डॉ. आभा यादव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और वर्षा बिस्सा, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर निर्णायक रही। प्रतियोगिता में शामिल विख्यात महाविद्यालयों से कुल 80 टीमों के सभी प्रतिभागियों को निर्णायकों सफल वक्ता बनने के गुर बताए गए।